एनएचपीसी. लिमिटेड
तीस्ता - IV जलविद्‌युत परियोजना (520 मेगावाट)
पर्यावरण संबंधी पहलुओं के संबंध में छमाही प्रगति रिपोर्ट

मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए प्रगति रिपोर्ट

1	परियोजना का नाम	तीस्ता - IV जलविद्‌युत परियोजना (520 मेगावाट)
2	परियोजना का प्रकार	जल-विद्‌युत परियोजना (रन आफ द रिवर स्कीम)
3	स्वीकृति पत्र - कार्यालय ज्ञापन संख्या और तारीख क) पर्यावरण संबंधी स्वीकृति ख) वन संबंधी स्वीकृति	क) सं. जे-12011/67/2008-आईए-I, दिनांक 09.01.2014 (संशोधित पत्र सं. जे-12011/67/2008-आईए-I (आर) पीटी., दिनांक 17.09.2019 ख) एफ. संख्या 8-65/2011-एफसी, दिनांक 26.02.2013
4	स्थान क) जिला ख) राज्य ग) अक्षांश घ) देशांतर	 मंगन सिक्किम 270 28′ 50′′ उ° (बाँध स्थल); 270 25′ 00′′ उ° (विद्‌युत गृह स्थल) 880 31′ 23′′ पू° (बाँध स्थल); 880 30′ 35′′ पू° (विद्‌युत गृह स्थल)
5	पत्र-व्यवहार का पता क) संबंधित परियोजना प्रमुख का पता (पिन कोड और टेलीफोन/ फैक्स नम्बर सहित) ख) निगम मुख्यालय में संबंधित विभागाध्यक्ष का पता (पिन कोड और टेलीफोन/फैक्स नम्बर सहित)	समूह महाप्रबन्धक, तीस्ता - IV जलविद्‌युत परियोजना ,एनएचपीसी लिमिटेड , मंगन नगर पंचायत भवन, रिन्ज़िंग नामगेल मार्ग, ज़िला: मंगन -737116 (सिक्किम) फोन : +91-9800003561 (मोबाइल) कार्यपालक निदेशक (पर्यावरण एवं विविधता प्रबंधन), एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर 33, फरीदाबाद (हरियाणा)-121003 फोन : 0129-2254674
6	पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं का विवरण	प्रमुख पर्यावरणीय प्रबंधन योजनाएँ निम्नलिखित हैं : जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना, जैवविविधता प्रबंधन योजना, मात्स्यिकी प्रबंधन योजना, जन स्वास्थ्य प्रबंधन योजना, डम्पिंग स्थलों का पुनरुद्धार, अपशिष्ट प्रबंधन, भूदृश्य निर्माण तथा निर्माण स्थलों एवं खदान क्षेत्रों का पुनरुद्धार, ईंधन तथा ऊर्जा संरक्षण उपाय, हरित पट्टी विकास योजना, जलाशय परिधि उपचार योजना, वायु, ध्वनि तथा जल की गुणवत्ता संबंधी प्रबंधन योजना, प्रतिपूरक वृक्षारोपण योजना, आपदा प्रबंधन योजना तथा पर्यावरणीय निगरानी कार्यक्रम।
7	परियोजना क्षेत्र का विवरण (भूमि का विवरण) क) जलमग्न क्षेत्र: (वन क्षेत्र और गैर-वन क्षेत्र)	 68.82 हैक्टेअर वन भूमि 36.54 हैक्टेअर गैर-वन भूमि

<table>
<tr><td></td><td>ख) अन्य</td><td>74.67 हैक्टेअर वन भूमि जिसमें 14.40 हैक्टेअर भूमिगत वन भूमि और 141.28* हैक्टेअर गैर-वन भूमि शामिल है
* सिक्किम सरकार गज़ेट संख्या 384 दिनांक 31.12.2021 में RFCTLARR अधिनियम, 2013 के सेक्शन 11(1) के अंतर्गत प्रकाशित प्राथमिक नोटिफिकेशन के अनुसार</td></tr>
<tr><td>8</td><td>जिन लोगों ने केवल घर/निवास खोए हैं, केवल कृषि भूमि खोई है, निवास और कृषि भूमि, दोनों खोए हैं तथा भूमिहीन मजदूरों/ दस्तकारों की गणना सहित परियोजना से प्रभावित आबादी का विवरण

क) अनु.जा./अनु.ज.ज./आदिवासी

ख) अन्य</td><td><table>
<tr><td>जिन परिवारों ने घर और भूमि खो दी है, उनकी संख्या</td><td>7</td></tr>
<tr><td>जिन परिवारों ने केवल भूमि खो दी है, उनकी संख्या</td><td>275 (आर आर यूनिट – 802) (सामाजिक प्रभाव आंकलन रिपोर्ट के अनुसार)</td></tr>
</table>
क) अनु.जा.- 01 तथा अनु.ज.ज. – 227

ख) ओबीसी – 01 तथा अन्य जाति – 05
(234 सर्वेक्षित परिवारों में - सामाजिक प्रभाव आंकलन रिपोर्ट के अनुसार)</td></tr>
<tr><td>9</td><td>वित्तीय ब्यौरा
क) परियोजना की लागत, जैसाकि आरम्भ में आयोजना की गई थी, और बाद के संशोधित अनुमान तथा मूल्य संदर्भ का वर्ष</td><td>₹ 3594.74 करोड़ (जुलाई, 2009 मूल्य स्तर पर)
₹ 6113.21 करोड़ (अप्रैल, 2021 मूल्य स्तर पर)</td></tr>
<tr><td></td><td>ख) परियोजना पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च</td><td>निवेश-पूर्व गतिविधियों पर व्यय: ₹ 278.91 करोड़ (लगभग) (31 मार्च 2025 तक)</td></tr>
<tr><td></td><td>ग) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं के लिए किया गया आवंटन</td><td>(i) ₹ 7265.66 लाख रुपये (डीपीआर)
(ii) ₹ 5653.18 लाख रुपये (अनुमोदित ईएमपी के अनुसार) आरएण्डआर योजना की लागत रुपये 2823.30 लाख को छोड़कर । सामाजिक प्रभाव आंकलन रिपोर्ट में आरएण्डआर योजना के लिए रुपये 12270.95 लाख की राशि प्रस्तावित की गई है ।</td></tr>
<tr><td></td><td>घ) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च</td><td>शून्य । यद्यपि कंपेन्सेटरी लेवी के रूप में सिक्किम कैम्पा / राज्य वन विभाग में जनवरी 2018 में रुपए 50.53 करोड़ जमा किए गए हैं ।
परियोजना का निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है ।</td></tr>
<tr><td>10</td><td>वन भूमि की आवश्यकताएं</td><td>पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पत्र दिनांक 26.02.2013 के द्वारा 143.49 हैक्टेअर वन भूमि के अपवर्तन हेतु</td></tr>
</table>

	क) वन भूमि को गैर-वन भूमि के रूप में उपयोग के लिए अपवर्तन के अनुमोदन की स्थिति ख) वन भूमि में पेड़ों की कटाई के संबंध में स्थिति	वन स्वीकृति (चरण-I) प्रदान की है जिसमें भूमिगत निर्माण-कार्यों के लिए 14.40 हैक्टेअर भूमि शामिल है । वन स्वीकृति (चरण-I) में वर्णित शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट राज्य वन विभाग द्वारा पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, शिलांग को पत्र दिनांक 31.01.2018 के द्वारा प्रेषित कर दी गई थी जो पुनः पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, शिलांग द्वारा पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को पत्र दिनांक 15.02.2018 के द्वारा वन स्वीकृति (चरण-II) के विचारार्थ अग्रेषित कर दी गई थी । पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अनुपालना रिपोर्ट पर पत्र दिनांक 03.04.2018 के द्वारा कुछ प्रेक्षण प्रस्तुत किए थे । इन प्रेक्षणों पर राज्य वन विभाग द्वारा उत्तर पत्र दिनांक 07.01.2019 के द्वारा दे दिया गया था । पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पत्र दिनांक 05.02.2019 के द्वारा पुनः कुछ प्रेक्षण मुख्यतः वन अधिकार अधिनियम, 2006 की अनुपालना पर प्रस्तुत किए गए हैं । वन अधिकार अधिनियम, 2006 की अनुपालना ज़िला प्रशासन, मंगन ज़िला स्तर पर लंबित है । शून्य परियोजना का निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है ।
11	निर्माण की स्थिति क) आरम्भ करने की तारीख (वास्तविक और / अथवा आयोजना की गई) ख) पूरा होने की तारीख (वास्तविक और / अथवा आयोजना की गई)	 परियोजना को वन स्वीकृति (चरण-II) तथा निवेश हेतु अनुमोदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है अतएव परियोजना का निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है । परियोजना की निर्माण अवधि सीसीईए स्वीकृति से 72 मास है ।
12	विलम्ब के कारण, यदि परियोजना अभी आरम्भ की जानी है	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत होने वाले अनुपालन के लंबित होने के कारण वन मंजूरी (चरण- II) लंबित है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act, 2013) के अनुसार 177.8148 हैक्टेअर निजी भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है । सामाजिक प्रभाव आंकलन अध्ययन पूर्ण हो चुका है तथा फ़ाइनल एसआईए रिपोर्ट अगस्त 2018 में प्रस्तुत कर दी गई थी ।

		राज्य सरकार द्वारा एसआईए रिपोर्ट के मूल्यांकन हेतु राजपत्र अधिसूचना संख्या 148 दिनांक 04.08.2020 के द्वारा बहु-विषयक एक्सपर्ट ग्रुप का गठन कर दिया गया था । एक्सपर्ट ग्रुप ने पत्र दिनांक 03.09.2020 के द्वारा अपनी रिपोर्ट सचिव, भूमि राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग, सिक्किम सरकार को प्रस्तुत कर दी थी तथा राज्य सरकार द्वारा उसे अनुमोदित कर दिया गया है । विशेष सचिव, भूमि राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग, सिक्किम सरकार द्वारा पत्र संख्या 358/LR&DMD/ACQ/GOS/1813 दिनांक 16.10.2020 के माध्यम से जिला कलेक्टर (उत्तर) को एसआईए रिपोर्ट तथा एक्सपर्ट ग्रुप की रिपोर्ट के राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन के विषय मे अवगत कराया गया है तथा RFCTLARR Act, 2013 के नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया । 177.8148 हैक्टेअर निजी भूमि तथा 3.7964 हैक्टेअर विभागीय भूमि के अधिग्रहण हेतु RFCTLARR अधिनियम, 2013 के सेक्शन 11(1) के अंतर्गत प्राथमिक नोटिफिकेशन सिक्किम सरकार गज़ेट संख्या 384 दिनांक 31.12.2021 में प्रकाशित हों गया है । चूंकि घोषणा और सारांश आर एंड आर रिपोर्ट के प्रकाशन की अवधि 30.12.2022 को समाप्त हो रही थी, इस मामले को एनएचपीसी द्वारा पत्र दिनांक 23.11.2022 के माध्यम से सचिव, भूमि राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, सिक्किम सरकार के समक्ष उठाया गया था । तदनुसार, राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 06.12.2022 के के द्वारा अतिरिक्त 12 महीनों के लिए घोषणा अधिसूचना के प्रकाशन की समय अवधि बढ़ा दी है । इसके पश्चात, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (R&R) समिति का गठन सिक्किम सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 03.08.2023 के माध्यम से किया गया। राज्य सरकार ने राजपत्र अधिसूचना दिनांक 27.09.2023 द्वारा एक संशोधन जारी किया, जिसके अंतर्गत अधिग्रहण की जाने वाली निजी भूमि को 177.8148 हेक्टेयर से घटाकर 176.8028 हेक्टेयर कर दिया गया, जिससे अधिग्रहण हेतु आवश्यक कुल भूमि (निजी + विभागीय) घटकर 180.5992 हेक्टेयर हो गई। राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 28.12.2023 के माध्यम से घोषणा अधिसूचना प्रकाशित करने की समय सीमा को 31.12.2023 से प्रभावी अतिरिक्त 12 माह के लिए बढ़ा दिया। एनएचपीसी ने पत्र दिनांक 28.06.2024 के माध्यम से जिला कलेक्टर, मंगन से अधिनियम की धारा 19 के तहत घोषणा प्रकाशन की प्रक्रिया में शीघ्रता लाने का अनुरोध किया। सिक्किम सरकार ने राजपत्र अधिसूचना दिनांक 12.12.2024 के माध्यम से एक बार फिर भूअधिग्रहण अधिनियम-, 2013 (RFCTLARR अधिनियम की धारा (19 के तहत घोषणा के प्रकाशन

		की अवधि को 31.12.2024 से प्रभावी 12 माह की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा दिया।
13	स्थल के दौरों का ब्यौरा क) निगरानी समिति द्वारा ख) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा	निगरानी समिति की संस्थापना निवेश अनुमोदन / सीसीईए स्वीकृति की प्राप्ति के पश्चात की जाएगी ।
14	पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में संक्षिप्त नोट	सीसीईए स्वीकृति होने के पश्चात परियोजना निर्माण गतिविधियों के साथ-साथ पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जाएगा ।